Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. 33/Pressclipping/1/2017Raipur/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 31/8/**2017**

To,

1. The Secretary,
Tribal Welfare & Scheduled Caste Development Department
Govt. of Chhattisgarh,
Mahanadi Bhawan,
New Raipur, Raipur
(Chhattisgarh)

2 Collector,
District- Baloda Bazar
Bhatapara,
Chhattisgarh

3. Collector,
District- Raigarh,
Chhattisgarh

4 General Manager,
District Industrial Centre,
(Industrial Department),
District- Raigarh,
Udyog Vhibhag,
Chhattisgarh

Sub: Tour Report of Shri Harshadbhai Vasava, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in District-Raigarh, Chhattisgarh State from 21.06.2017 to 25.06.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of tour report of Shri Harshadbhai Vasava, Hon'ble Member, NCST to District- Raigarh, Baloda Bazar Bharapara, Chhattisgarh on 21th June to 25th June 2017 for information and necessary action.

5956-59
31/8/17

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के नेतृत्व में आयोग के दल के दिनांक 21–06–2017 से 25–06–2017 तक छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ एवं बलोदा बाजार–भाटापारा जिलों के दौरे की रिपोर्ट

आयोग मुख्यालय के वायरलेस संदेश क्र. 33/प्रेस क्लिपिंग/1/2017/रायपुर/आरयू–।।। दिनांक 13–06–2017 के क्रम में आयोग के एक दल ने दिनांक 21–06–2017 से 25–06–2017 तक छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ एवं बलोदा बाजार–भाटापारा जिलों का दौरा किया। दल का नेतृत्व श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने किया और उनके साथ श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक, श्री एस.के. शुक्ला, परामर्शक, श्री सत्यदेव शर्मा, मानद सलाहकार, श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक एवं श्री पी.के. दास, वरिष्ठ अन्वेषक भी थे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रायगढ़ जिले के कुनकुनी एवं अन्य ग्रामों में अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायतों का मौके पर जायजा लेना, स्थानीय प्रशासन द्वारा दोषियों पर कार्रवाई की स्थिति की जानकारी लेना, कुनकुनी भूमि घोटाले के शिकायतकर्ता श्री जयलाल राठिया की संदिग्ध मृत्यु की पुलिस द्वारा की जा रही जांच की स्थिति का अवलोकन करना और बालोदा बाजार–भाटापारा जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु अनुसूचित जनजातियों की भूमि लिये जाने तथा उनके पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेना था।

1. पृष्ठभूमि:–

(i) कुनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता श्री जयलाल राठिया की मृत्यु के संबंध में दैनिक समाचार पत्र, 'पत्रिका' में प्रकाशित समाचार का संज्ञान में लेते हुए आयोग द्वारा स्थलीय जांच हेतु दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था जिसमें श्री आर.के.दुबे, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल एवं श्री पी.के. दास, वरिष्ठ अन्वेषक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर सम्मिलित थे। जांच दल ने 28/03/2017 से 29/03/2017 तक रायगढ़ जिले में जाकर मृतक के परिजनों, अन्य सम्बधित लोगों, खरसिया थाने के प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया, जिला कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ आदि से मिलकर मामले के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की एवं अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख संस्तुतियां संक्षेप में निम्नलिखित थीं:–

(क) मृतक श्री जयलाल राठिया के शव के अवशेष (अस्थियाँ एवं राख) पुलिस द्वारा आयोग की अनुशंसानुसार पूर्व में ही फारेंसिक जांच हेतु रायगढ़ भेज दिये गए थे । तथापि यह सुझाव दिया गया कि दिनांक 16/03/2017 को शाम 5 बजे से घर वापस लौटने तक मृतक किन–किन व्यक्तियों से कितने समय के लिए मिला, यह जांच मोबाइल नं. एवं लोकेशन से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) कुनकुनी गांव में बड़े पैमाने पर भू–माफिया एवं व्यापारी वर्ग द्वारा कई वर्षों से अवैध तरीके से भूमि का क्रय–विक्रय किया जा रहा है जिसमें क्रेताओं द्वारा विक्रेताओं को जमीन के मूल्य बाबत जो चैक दिये गये वे भी बाउन्स हो गये। इस कारण कुनकुनी गांव के कई आदिवासी परिवारों को न ही रुपया मिला और न ही ज़मीन वापस मिली। कुछ परिवारों की

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ज़मीन खोद दी गई, जिससे वहां खेती करना संभव नहीं रह गया। अतः अवैध तरीके से ली गई जमीन मूल भू–स्वामी को पुनः नामांतरित की जाए।

(ग) कुनकुनी गांव के जमीन घोटाले के संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं है। कुछ छोटे सरकारी कर्मचारियों को निलम्बित कर कुछ दिनों बाद बहाल कर दिया गया है और विभागीय जांच जारी है। अतः जिला प्रशासन द्वारा विशेष जांच दल गठित कर गांव के सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवज़ा तथा उनकी जमीन वापस करने के साथ–साथ उक्त जमीन घोटाले में संलिप्त सभी आरोपियों (भू–माफिया, बिचौलियों एवं राजस्व कर्मियों) के विरूद्व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के उचित प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य भू–राजस्व संहिता की धारा 170 के अन्तर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य में अनुसूचित जनजाति की भूमि गैर आदिवासी को नामांतरित नहीं की जा सकती है। अतः कई मामलों में भू–माफिया, व्यापारी और बिचौलिए किसी गरीब आदिवासी के नाम पर ही जमीन खरीद लेते हैं और उसे इसकी जानकारी भी नहीं होती या वह कुछ पैसों के बदले में चुप रहता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां भी इस प्रकार की जमीन ली गई है, वहां वापस मूल भू–स्वामी को मिले।

(ii) उक्त रिपोर्ट पर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा हेतु दिनांक 08/05/2017 को आयोग द्वारा मुख्यालय, नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई जिसमें कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ तथा मण्डल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सम्मिलित हुए। इस बैठक में जिला कलेक्टर, रायगढ़ ने अवगत कराया कि ग्राम कुनकुनी तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ के आदिवासियों की लगभग 300 एकड़ भूमि सप्तऋषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा नियम विरुद्व एवं कूट रचना द्वारा नामांतरित करायी गयी। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया में धारा 170 (1 एवं 2) के तहत 73 प्रकण दर्ज़ किये गये हैं, जिसके तहत मूल–भूस्वामी आदिवासियों को जमीन लौटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(iii) उपरोक्त अवैध/बेनामी भू–हस्तांतरण मे संबंधित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व की गई कार्यवाही सहित आयोग द्वारा मामले में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही के विषय में पूछा गया। इस संदर्भ में कलेक्टर, रायगढ़ ने यह भी बताया कि तत्कालीन दो नायब तहसीलदारों एवं एक तहसीलदार (वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर) को छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 22/03/2017 के तहत निलम्बित कर दिया गया है तथा एक तत्कालीन नायब तहसीलदार को सेवा निवृति हो जाने के कारण न ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही विभागीय जांच संस्थित की गयी । उपरोक्त निलम्बित राजस्व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी प्रारम्भ की गयी ।

(iv) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ से कुनकुनी ज़मीन घोटाले के याचिकाकर्ता जयलाल राठिया की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि जयलाल राठिया के पुत्र एवं परिजनों के कथन के आधार पर जयलाल राठिया की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई थी इसलिए शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार जयलाल राठिया के अवशेष (हड्डियां तथा राख) की फारेंसिक जांच के सम्बन्ध में बताया कि राज्य

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर की परीक्षण रिपार्ट के अनुसार मृतक के जब्तशुदा अवशेष (प्रदर्शों) में रासायनिक विष का होना नहीं पाया गया।

(v) आयोग द्वारा भूमि सम्बन्धी मामलों में पुलिस कार्यवाही के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अनुभागीय अधिकारी (रा.) के पत्र दिनाक 10/04/2017 के आधार पर ग्राम कुनकुनी के 14 आदिवासियों के 30 खसरों की कृषि भूमि का छल पूर्वक क्रय–विक्रय करने के विरुद्व थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 168/17 धारा 420,467,471,120बी भा.द.वि. सपठित धारा (2),53,54 बेनामी सम्पति व्यवहार प्रतिशेध अधिनियम पंजीबद्व किया जाकर विवेचना में लिया गया। इस प्रकरण में प्रमुख आरोपी सप्तऋषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड एवं पार्टनर संतोष कुमार गौतम, मनीष बंसल/बनसानिया आदि हैं ।

(vi) मण्डल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने बैठक में बताया कि रेलवे साइडिंग के लिए सी. एस. आइ. डी. सी. के माध्यम से ग्राम कुनकुनी मे 116 एकड़ ज़मीन ली गई थी । इसके अलावा कोल वॉशरी हेतु भी रेलवे ने रेल कनेक्टिविटी दी है । आयोग का मत था कि सी.एस.आइ.डी.सी. को यह परखना चाहिए था कि इस प्रकार भूमि का अधिग्रहण क्या वास्तव में जनहित में है। आयोग ने यह भी मत व्यक्त किया कि जिन मामलों मे अनुसूचित जनजातियों के साथ गैर आदिवासी व्यक्तियों ने जमीन का हेर–फेर किया है, उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाए ।

(vii) बैठक की समाप्ति पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ से विभिन्न बिंदुओं पर तीन सप्ताह के भीतर (29/05/2017) तक विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को भेजने हेतु निर्देशित किया गया ।

(viii) उपरोक्त पृष्ठभूमि में बैठक के लगभग 6 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब कलेक्टर, रायगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ से विस्तृत कार्यवाही रिपार्ट प्राप्त नहीं हुई तब आयोग ने श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य के नेतृत्व में 5 सदस्यीय इस जांच दल का गठन किया जिसने दिनांक 21/06/2017 से 24/06/2017 तक रायगढ़ जिला मुख्यालय, ग्राम कुनकुनी, छोटे डूमरपाली, बड़े डूमरपाली, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ और बलौदा बाज़ार, जिला मुख्यालय का भ्रमण किया।

आयोग का दल दिनांक 21–06–2017 को प्रातः रायपुर पहुंचा और वहां से रायगढ़ जिले के लिये रवाना हुआ। इस दौरे में दल द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 21–06–2017 (बुधवार)

2. **रायगढ़ सर्किट हाउस में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से चर्चा:**

आयोग के माननीय सदस्य ने सर्किट हाउस में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से उनकी विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। इसमें आयोग को निम्नानुसार जानकारियां दी गईं:

(i) श्री जयमंगल आत्मज श्यामलाल निवासी अमलीभौना एवं उनके साथ आये श्री लक्ष्मण आत्मज पेटला, श्री भैयालाल आत्मज मुनाऊ और श्री श्यामलाल आत्मज नंदू ने जानकारी दी कि उनके गांव में कोरबा वेस्ट पावर प्लांट द्वारा आदिवासियों की कृषि भूमि की बेनामी खरीद–फरोख्त की गई है एवं अनुसूचित जनजातियों की भूमि को अवैधानिक रूप से भू–अर्जन की कार्रवाई कर बल पूर्वक आठ वर्ष पश्चात् कब्जा लेने की कोशिश की जा

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रही है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मामले में नई पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा दिये जाने की मांग की।

(ii) श्री यशवंत राज सिंह, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज संगठन, रायगढ़ ने अवगत कराया कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की भूमि अन्य व्यक्तियों द्वारा बाहरी आदिवासियों के नाम पर बेनामी क्रय की जा रही है। कई मामलों में यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्रेता वास्तविक आदिवासी हैं भी अथवा नहीं। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी राज्य की भू–राजस्व संहिता की धारा 170(ख) से संबंधित प्रावधानों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजातियों की भूमि उद्योगों हेतु लिये जाने पर उन्हें कंपनी में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने राज्य में संवरा जनजाति के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र न मिलने एवं कई अन्य समुदायों को भी जाति प्रमाण पत्र से वंचित किये जाने की शिकायत की। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को नौकरियां न मिल पाने, शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों का प्रवेश न हो पाने, अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने, कुनकुनी जमीन घोटाले की तरह ही घरघोड़ा–तिलईपाड़ा में भी जमीन घोटाला होने, कन्नार नोआपाड़ा में आदिवासियों सहित किसानों की 85 एकड़ जमीन महादेव एनर्जी कंपनी द्वारा हड़पे जाने तथा नटवरपुर में पीएसईएल कंपनी द्वारा 9 साल पहले किसानों की 70–80 हेक्टेयर जमीन कथित रूप से नियम विरुद्ध तरीके से लिये जाने की शिकायत की।

(iii) श्री वंशीधर चौधरी, विधायक प्रतिनिधि लैलुंगा ने जानकारी दी कि अनुसूचित जनजाति के श्री उद्धव सिंह भगत, निलपाड़ा तमनार की जमीन का प्रकरण लंबे समय से एसडीएम के न्यायालय में चल रहा है पर एसडीएम मामले में फैसला नहीं दे रहे हैं। उनकी 15 एकड़ भूमि पर हिंडाल्को कंपनी का कब्जा है जिस पर कार्यालय बना है। कंपनी ने उनकी जमीन पर लगे पेड़ भी काट दिये इस भूमि को 50,000/– रुपये एकड़ की दर से निक्को जायसवाल कंपनी द्वारा भोला निवासी कोडकेल के नाम से बेनामी खरीदा गया है। इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उद्धव सिंह के नाना का मकान मांजीखोल में है जिनकी 2 बेटियां ही वारिस थीं पर उनका नाम उस मकान में नहीं चढ़ाया गया है जबकि उनके भाई का नाम चढ़ाया गया है। इस मकान को पुनर्वास के तहत हटा रहे हैं और मुआवजा भी मिलना है पर नाम न चढ़ाये जाने के कारण वे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पायेंगे। उन्होंने मकान के अभिलेखों में उद्धव सिंह भगत का नाम चढ़ाने की मांग की।

(iv) श्री धर्म साय आत्मज मंगरा निवासी पाकरगांव, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर ने अवगत कराया कि वर्ष 1923–24 में उनके परिवार की 3 एकड़ 28 डिसमिल जमीन थी जिस पर उनके पूर्वजों का कब्जा वर्ष 1950 तक था। जमीन के कब्जेदारों में उनका नाम था किंतु उसके बाद गोटिया ने उक्त जमीन अपने नाम करा ली जबकि उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कभी भी जमीन नहीं बेची। आज भी जमीन पर वे ही काबिज हैं किंतु रिकार्ड में गोटिया का नाम है। उन्हें उनकी जमीन दिलायी जाये।

(v) श्री राजेश त्रिपाठी, जन चेतना संगठन, रायगढ़ ने अवगत कराया कि जिले में वर्ष 1991 के बाद बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन की बेनामी खरीद–फरोख्त हुई है। वर्ष 2002 से एसडीएम कार्यालय में भू–राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के 641 मामलों में पेशी चल रही है। अधिकांश मामलों में गलत रजिस्ट्रियां की गईं हैं और कुछ मामलों में

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

तो जमीन खरीदने वाले लोग गरीबी की रेखा के नीचे के हैं और उन्होंने जमीन खरीदने में 90–90 लाख रुपये की राशि व्यय की है। जिले के राजस्व एवं पंजीयन कार्यालय के अधिकारी इसमें शामिल थे और आधी रात तक कार्यालय खोलकर रजिस्ट्रियां की गईं।

(vi) श्री अरूण कुमार, प्रतिनिधि, एकता परिषद निवासी सासाहोली, पोस्ट नेवरा, जिला रायपुर ने अवगत कराया कि राज्य में वन अधिकार कानून ठीक से लागू नहीं किया गया है और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। राजनांदगांव एवं कोरिया जैसे जिलों में तो प्रशासन द्वारा वन अधिकार दावों के लिये फॉर्म तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। पूरे राज्य में आदिवासियों के नाम पर उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं और शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता।

(vii) श्री सी.एस. सिदार, निवासी रायगढ़ ने शहर में ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि एवं पेट्रोल पंप पर एस.एन. गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा किये जाने के मामले में स्थानीय प्रशासन द्वारा सहयोग न किये जाने की शिकायत की।

दिनांक 22–06–2017 (गुरुवार)

3. वेदांता रेल साइडिंग का दौराः

(i) आयोग के दल ने स्थानीय अधिकारियों के साथ जाकर ग्राम कुनकुनी तहसील खरसिया जाकर वेदांता रेल साइडिंग का मुआयना किया जहां अनुसूचित जनजातियों की भूमि अवैध रूप से लिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस स्थान पर 200 एकड़ भूमि ली गई है जिसमें 29 हेक्टेयर अर्जित भूमि तथा बाकी कंपनी द्वारा सीधे लोगों से खरीदी गई भूमि सम्मिलित है। यहां पर 900 मीटर रेलवे लाइन बिछाई गई है जिस पर कोयला वॉशरी कार्यरत है। स्थानीय एसडीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा भू–अर्जन कर उद्योग विभाग को जमीन दी जाती है और वे लोग उद्योग को भूमि ट्रान्सफर करते हैं। आयोग ने एसडीएम से यह जानकारी देने को कहा कि यहां पर कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है और उनमें से अनुसूचित जनजातियों के कितने कृषकों की कितनी जमीन ली गई है। साथ ही भू–अर्जन से पूर्व और अर्जन के बाद कौन भूमि स्वामी बना, भू–अर्जन किसके नाम पर हुआ, किसने जमीन लेने के लिये आवेदन किया, भू–अर्जन से पूर्व भूमि उपयोग क्या था तथा भू–अर्जन रेलवे साइडिंग के लिये किया गया या कोयला वॉशरी के लिये किया गया, इसकी जानकारी आयोग को लिखित में उपलब्ध करायें। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शिकायत की कि रेलवे साइडिंग और कोल वॉशरी बनाने के लिये प्राकृतिक नदी–नालों को डायवर्ट कर दिया गया है जिससे कुछ लोगों के खेत में पानी भर जाता है और पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हुआ है। रेलवे साइडिंग और कोल वॉशरी के कारण उन्हें अपने खेत में जाने में दिक्कत होती है और कोयला युक्त पानी उनके खेत में भर जाता है और फसल खराब हो जाती है। आयोग ने एसडीएम को निर्देश दिया कि इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराया जाये।

(ii) ग्रामवासियों द्वारा आयोग के दल को यह जानकारी भी दी गई कि वेदान्ता कोल वॉशरी से सटी हुई सप्तऋषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी की ज़मीन बिना किसी उपयोग के पड़ी हुई है तथा इसका स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया है। श्री मनोज कुमार नागवंशी, श्री घनश्याम वैष्णव, श्री चंद्रभान वैष्णव, श्री मनीराम राठिया आदि ग्रामवासियों ने बताया कि वेदान्ता कोल वॉशरी से रायगढ़–खरसिया सड़क मार्ग के किनारे 20–25 घरों की एक आदिवासी

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बहुल बस्ती है। यद्यपि यहां के निवासी भू–स्वामी नहीं है किन्तु उनके कथनानुसार वे गत 100 वर्षों से वहां पर निवासरत हैं। उनका आरोप है कि राजस्व सर्वेक्षण में इस बस्ती की आबादी को निरंक (वीरान) दिखाया गया है। अतः उनका किसी प्रकार का कोई दावा ही नहीं बनता है। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि कोल वॉशरी चालू रहने के समय उनके घर पहले कोयले की राख से ढंक जाते हैं और बाद में उनमें पानी भर जाता है। इससे उनका जीवन दूभर हो रहा है। उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से कई बार निवेदन किया किन्तु आज तक समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया। आयोग द्वारा एसडीएम को तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया।

4. **ग्राम कुनकुनी में डीबी पावर कम्पनी लिमिटेड हेतु रेल लाइन बिछाने के लिये भूमि लिये जाने का मौके पर अवलोकनः**

(i) वेदान्ता कोल वॉशरी तथा रेलवे साइडिंग स्थल निरीक्षण के बाद ग्राम पंचायत भवन कुनकुनी जाने से पूर्व स्थानीय लोगों ने जांच दल का ध्यान **डी.बी.पॉवर कम्पनी लिमिटेड** द्वारा विकसित की जा रही अधो–संरचना (सड़क मार्ग,रेल मार्ग,सड़क पर बनाये जा रहे पुल/पुलिया आदि) की ओर आकर्षित किया। लगभग 8–10 प्रभावित लोगों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि कम्पनी द्वारा उचित–अनुचित तरीकों से बिचौलियों के माध्यम से भू–अधिग्रहण किया जा रहा है। यदि कोई आदिवासी अपनी कृषि कार्य के अयोग्य भूमि का विक्रय प्रस्तावित करता है तो उसके बदले में उसकी कृषि योग्य ज़मीन हस्तांतरित करा ली जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कम्पनी द्वारा उनकी अच्छी–भली ज़मीन पर मिट्टी डाल दी जाती है जिससे कि वह उस पर कृषि कार्य न कर सकें और अन्ततः उस ज़मीन को बेचने पर बाध्य हो जाएं। यह भी कहा गया कि उन्हें बिचौलियों के गुण्डों द्वारा बार–बार धमकी दी जाती है तथा इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ग्रामीणों के द्वारा अत्यधिक दबाव बनाने के फलस्वरूप कुछ समय पूर्व राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त निर्माण को रोक दिया गया था किन्तु कुछ समय बाद उसे चुपके–चुपके फिर प्रारम्भ कर दिया गया ग्रामीणों ने डी.बी.पॉवर कम्पनी लिमिटेड दौरा अवैध रूप से जमीन हथियाने पर रोक लगाने और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग की।

5. **ग्राम पंचायत भवन, कुनकुनी में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों/प्रभावितों के साथ चर्चाः**

बैठक में कुनकुनी भूमि घोटाले के लगभग 50 पीड़ित व्यक्ति उपस्थित थे जिन्होंने जांच दल के समक्ष अपनी शिकायतें रखीं। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया, स्थानीय पटवारी एवं खरसिया के पुलिस अधिकारी (एस.डी.ओ.पी. तथा टीआई) भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों द्वारा छल–प्रपंच से उनकी भूमि के अधिग्रहण की जानकारी दी गई जो निम्नानुसार है :–

(i) **कुमार सिंह राठिया आत्मज घसिया राम राठिया निवासी कुनकुनी** द्वारा बताया गया कि उनकी 01 एकड़ 72 डेसिमल ज़मीन डी.बी. पॉवर कम्पनी की रेलवे लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहित की गई जिसमें गांव के ही दो–तीन व्यक्तियों ने बिचौलियों का काम किया। ज़मीन का पूरा पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिला है।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ii) जगत राम राठिया आत्मज सिदार निवासी ग्राम कुनकुनी ने बताया कि उनकी ज़मीन दो भाइयों के नाम पर थी। बिचौलियों चन्द्रिका राठिया एवं देवधर ने ऋण पुस्तिका में परिवार के अन्य लोगों के नाम जुड़वा दिए। यह भी बताया कि ज़मीन एक एकड़ कय की गयी और नामांतरण संतोष गौतम के नाम पर दो एकड़ भूमि का किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि सम्मिलित पारिवारिक खाते (70 एकड़ में से 12 एकड़) की खरीदी मनीष बंसल के नाम की गयी जिसकी बाद में संतोष गौतम के नाम पर रजिस्ट्री करायी गयी। सम्मिलित खाते से बिना अनुमति ज़मीन विक्रय करने के कारण जगत राम राठिया के भतीजे रोहित आत्मज स्व. भगत राम के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया तथा उसे जेल भी हुई। उक्त ज़मीन का अधिग्रहण सप्तऋषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी के उपयोग हेतु किया गया। इस पूरे प्रकरण की पुष्टि जगत राम की भाभी, रामकुमारी पत्नी स्व. भगत राम द्वारा की गयी तथा उनके द्वारा लिखित आवेदन भी दिया गया।

(iii) आनन्द सिंह राठिया आत्मज स्व. जयलाल राठिया निवासी कुनकुनी (जिनके द्वारा कुनकुनी ज़मीन घोटाले के संबंध मे उच्च न्यायालय , बिलासपुर मे याचिका दाखिल की गयी थी) ने बताया कि उनकी लगभग 10 एकड़ ज़मीन रेलवे साइड़िंग हेतु श्री मनीष बंसल द्वारा खरीदी गयी तथा इस ज़मीन का नामांतरण किसके नाम हुआ यह ज्ञात नहीं है। ग्रामवासियों को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि यह ज़मीन रेलवे साइडिंग के लिए खरीदी जा रही थी। इसे श्री अशोक तोता, अंश होटल, रायगढ़ के मालिक एवं श्री मनीष बंसल ने स्थानीय निवासियों, मदन लाल डनसेना, चन्द्रिका राठिया एवं लोकेश्वर सारथी के माध्यम से खरीदा है। आनन्द ने यह भी बताया कि उनकी ज़मीन खरीदने हेतु मनीष बंसल ने रूपये 3.50 लाख का चेक दिया था, वह बाउन्स हो गया है तथा ज़मीन भी उनके परिवार के नाम से अभी तक वापस नहीं की गयी है।

(iv) चन्द्रिका राठिया जो मृतक जयलाल राठिया के भाई हैं, निवासी कुनकुनी के द्वारा बताया गया कि उनकी 9–10 एकड़ ज़मीन है जिसमें से मनीष बंसल, अशोक तोता एवं संदीप गोयल द्वारा डमरू सिदार निवासी तेलीकोट के माध्यम से 70 डेसीमल ज़मीन खरीदी गयी किन्तु बाद मे पता चला कि रजिस्ट्री 90 डेसीमल की हुई है। इसको लेकर चन्द्रिका राठिया द्वारा स्थानीय राजस्व अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा उपरोक्त केताओं द्वारा उन पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

(v) मयाराम राठिया आत्मज सहसराम निवासी कुनकुनी, (उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन कुनकुनी ज़मीन घोटाले के प्रकरण के सह याचिकाकर्ता) ने बताया कि उनकी 8 एकड़ ज़मीन 13 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदी गयी। इसके बदले में उन्हें 80 लाख रुपये का चेक दिया गया जो कि बाउन्स हो गया। उन्होंने यह भी शिकायत की कि अशोक तोता द्वारा उनकी ज़मीन की खुदाई करवा दी गयी जिससे उसमें पानी भरा रहता है तथा कृषि कार्य करना संभव नहीं है । इस ज़मीन का रकबा लगभग 6 एकड़ का है।

(vi) रोहित पिता स्व. भगत राम निवासी कुनकुनी के द्वारा बताया गया कि उनकी 1 एकड़ 67 डेसीमल ज़मीन 10 लाख रुपये प्रति एकड़ के भाव से डमरू सिदार के नाम पर मनीष बंसल द्वारा खरीदी गयी। इसके बदले में उन्हें मात्र 60 हज़ार रुपया मिला तथा शेष पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। सम्मिलित खाते की ज़मीन कुछ हिस्सेदारों की जानकारी के

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बगैर क्रय–विक्रय की गयी जिसमें उसके भाई मनीराम से मनीष के साथी गुडडू दलाल द्वारा रजिस्ट्री के कागज़ों पर बलपूर्वक हस्ताक्षर करा लिए गए। रोहित ने यह भी बताया कि 01 एकड़ 67 डेसीमल घोषित क्रय ज़मीन के बदले में 2.5 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली गयी जिसके बदले मे आज तक कोई पैसा नही दिया गया है। साथ ही साथ उसे हिस्सेदारों की ज़मीन बेचने के आरोप मे जेल भी जाना पडा।

(v) **साजमती पत्नी गोवर्धन कंवर निवासी कुनकुनी** के द्वारा षिकायत की गयी कि डी.बी.पॉवर कम्पनी के लोगों ने इनकी एक एकड़ से अधिक ज़मीन मिटट्ी डाल कर पाट दी है जिससे उस पर कृषि कार्य करना संभव नही हो पा रहा है।

(vi) **कर्मूराम नागवंषी निवासी कुनकुनी** ने बताया कि इनकी एक एकड़ की जगह एक हेक्टेयर ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली गयी । बाद मे समझौते के तहत ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात की गयी किन्तु वैकल्पिक ज़मीन रेलवे साइड़िग की निकली।

(vii) **भगवानो राठिया निवासी कुनकुनी** के द्वारा बताया गया कि इनके संयुक्त खाते में 16 एकड़ ज़मीन थी जिसमें से अधिकांष ज़मीन दलाल मदन डनसेना ने धमकी दे देकर घर के लोगों की सहमति के बिना बेच दी। अब उनके पास मात्र 75 डेसीमल ज़मीन शेष बची है। विक्रय की कीमत के नाम पर उन्हें मात्र 3 लाख रुपया प्राप्त हुआ।

छोटे डूमरपाली में जनसुनवाई करता आयोग का दल

(viii) **मालती पत्नी कंवरसिंह निवासी कुनकुनी** की 22 डेसीमल ज़मीन दलाल लखन पटेल द्वारा संतराम निवासी महुआपाली के नाम से क्रय की गयी तथा नामांतरित हुई। इसके बदले में देय पैसा प्राप्त नहीं हुआ। प्रारम्भ में 30 हज़ार रुपये नकद दिए गए। बाद में एक लाख रूपये का चेक दिया गया जो बाउन्स हो गया।

(ix) **वासुदेव डनसेना आत्मज सिद्धू निवासी कुनकुनी** के द्वारा आरोप लगया गया कि सप्तऋषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा इनकी 27 डेसीमल ज़मीन मिट्टी से पाट दी गयी जिस पर वह खेती करने में असमर्थ हैं।

(x) **गोविन्द राम कंवर आत्मज गाड़ाराम निवासी कुनकुनी** ने बताया कि इनकी 3.75 एकड़ ज़मीन बेचने से मना करने पर सप्तऋषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा मिटटी से पाट दी गयी। विवष होकर इनको 13 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन बेचनी पड़ी। प्रारम्भ

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

में ज़मीन विक्रय के बदले में 11 लाख रुपये प्राप्त हुए तथा 3.73 हज़ार का चेक दिया गया जो बाउन्स हो गया। यह ज़मीन दलाल संदीप गोयल के माध्यम से संतराम निवासी महुआपाली द्वारा क्रय की गयी।

उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि ग्राम कुनकुनी में व्यापक स्तर पर आदिवासियों की ज़मीन निजी कम्पनियों को देने के प्रयोजन से साम–दाम–दण्ड–भेद अथवा छल पूर्वक या दस्तावेजों मे कूट रचना कर अधिग्रहित की गयी। ज़मीन बेचने को विवश करने के लिए जिन हथकण्डों का प्रयोग किया गया उनमे कृषि योग्य ज़मीन को मिट्टी से पाट कर कृषि अयोग्य बना देना, सम्मिलित खातों में छलपूर्वक सह खातेदारों के हस्ताक्षर करवा लेना, घोषित क्रय ज़मीन के बदले अधिक ज़मीन की रजिस्ट्री कराना आदि सम्मिलित है। सबसे गम्भीर बात यह है कि अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों की ज़मीन गैर–आदिवासियों द्वारा फर्ज़ी आदिवासी क्रेता के नाम पर खरीदी जा रही है जो बेनामी खरीदी की श्रेणी में आता है। जमीन खरीदी में जिन मामलों में अनुसूचित जनजातियों के साथ धोखाधड़ी की गई है उनमें भा.द.वि. के साथ ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान भी लागू होते हैं किंतु इन्हें लागू नहीं किया गया।

आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया कि दिनांक 08/05/2017 को आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में तत्कालीन कलेक्टर, रायगढ द्वारा ज़मीन घोटाले के संबंध मे कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत न किया जाकर मात्र कुछ दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का उल्लेख छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–4 –150/7–1/2015 दिनांक 24/04/2017 के हवाले से किया गया जबकि उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 04–08–2015 को ही तैयार हो गई थी। यह जांच प्रतिवेदन आयोग के जांच दल को दिनांक 22/06/2017 को कुनकुनी दौरे पर निकलने से पूर्व दिया गया जिसका अध्ययन उस समय करना संभव नहीं था। उक्त जांच समिति ने कुनकुनी ज़मीन घोटाले में बहुत सी अनियमितताएं पायी थीं।

6. **भाटिया एनर्जी एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. की राजन कोल वॉशरी में मौका निरीक्षणः**

आयोग के दल ने राजन कोल वॉशरी, जो भाटिया एनर्जी एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. की इकाई है, में जाकर मौके का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के एक बड़े शराब व्यवसायी भाटिया समूह द्वारा ग्राम छोटे डूमरपाली में राजन कोल वॉशरी की स्थापना की गई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह संयत्र 8 हेक्टेयर (20 एकड़) में फैला हुआ है और वर्ष 2010–11 में भू–अर्जन के बाद स्थापित हुआ। प्लांट में काम वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ। कोयला भंडारण 4 एकड़ क्षेत्रफल में होता है। दल को बताया गया कि कंपनी ने वास्तव में कहीं अधिक भूमि पर कब्जा किया है और ग्राम छोटे डूमरपाली तथा बड़े डूमरपाली के आदिवासियों की कई एकड़ जमीन उसी कार्य प्रणाली से अधिग्रहित की गई, जो ग्राम कुनकुनी में व्यवहार में लाई गई थी।

7. **शासकीय माध्यमिक शाला, छोटे डूमरपाली में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाः**

जन सुनवाई के दौरान छोटे डूमरपाली के अनेक ग्रामवासियों ने जमीन के क्रय–विक्रय में हुई अनियमितताओं का उल्लेख किया, जिनमें से कुछ बयान निम्नानुसार है :–

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(i) **खीरमोहन नागवंशी पिता द्वारका** : इन्होंने बताया कि इनकी 01 एकड़ अधिग्रहित की गई, जिसके बदले में 0.76 डेसिमिल ऐसी जमीन दी गई, जो कृषि योग्य नहीं थी। उस पर भी राजन कोल वॉशरी द्वारा तालाब बना दिया गया। उन्हें न पैसा मिला न ही जमीन मिली।

(ii) **श्री चंदराम, मनीराम, हीरालाल, छोटेलाल व शांति** : उनकी खाता नं. 43 की 0.78 डेसिमिल जमीन वॉशरी हेतु जबरदस्ती ली गई तथा दूसरी जमीन की बात कर यह जमीन रजिस्ट्री करा ली गई जो वे नहीं बेचना चाहते थे। उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें केवल 3 लाख रुपये दिये गये हैं।

(iii) **मानकुंवर पति तोमन सिंह नागवंशी**: उन्होंने बताया कि वे लगभग 18–19 एकड़ भूमि की स्वामिनी है। उनकी 3 एकड़ अच्छी जमीन धोखे से कय कर ली गई जबकि सौदा दूसरी पथरीली एवं बंजर जमीन का हुआ था। जमीन का विकय शशिकुमार दलाल के मार्फत किया गया था किंतु पूरा पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(iv) **गौतम प्रसाद** : इनकी दो भाईयों की साझा जमीन है। बड़े भाई की जमीन खरीदने के नाम पर उनकी भी जमीन साथ में खरीद ली गई। उन्होंने अपनी निजी भूमि को राजन कोल वॉशरी को बेचा था पर वॉशरी ने उनके भाई से साझे की जमीन भी रजिस्ट्री करा ली। उन्हें मात्र 5 लाख रुपये मिले। मध्यस्थता मनीष बनसानिया, खरसिया द्वारा की गई।

(v) **श्री ठेठाराम पुत्र अमर सिंह सतनामी**: उन्होंने बताया कि उनकी जमीन का सौदा 15 लाख रुपये में तय हुआ था किंतु मात्र 10.69 लाख रुपये ही दिये गये। वॉशरी वालों ने उनका कुआँ और तालाब भी पाट दिया। यह कुआँ भी उन्होंने लोन लेकर बनाया था। उन्होंने तालाब और कुएँ की जमीन की रजिस्ट्री नहीं की थी। गोचर की भूमि भी ले ली गई। उन्होंने खसरा नं. 323/1 की जमीन बेची थी जबकि तालाब खसरा नं. 322 पर है जो उन्होंने नहीं बेचा। उनके साथ धोखा हुआ है।

(vi) **कौशल्या बाई पत्नी जनक राम नागवंशी**: इन्होंने बताया कि उनकी 3 एकड़ जमीन थी जिसमें से उन्होंने 1 एकड़ जमीन बेची किंतु रजिस्ट्री 3 एकड़ की करा ली गई। इसमें भी मनीष और शशि कुमार ही दलाल थे। उन्हें केवल 3 लाख रुपये दिये गये और वादे के बाद भी नौकरी नहीं दी गई।

(vii) **श्री भुवनेश्वर प्रसाद पुत्र घासीराम नागवंशी**: इन्होंने अवगत कराया कि उनकी 5 एकड़ जमीन में से 2.5 एकड़ पिता एवं 2.5 एकड़ माता के नाम पर थी जो राजन कोल वॉशरी हेतु कई बार में ली गई। उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा दिया गया। वादे के बाद भी नौकरी नहीं दी गई। इसमें भी दलाल मनीष बंसल था। उन्होंने बताया कि गांव में हुई रजिस्ट्रियों में दलाल/क्रेता के रूप में डमरू राठिया, भानू प्रताप, नेहरू लकड़ा तथा संतराम राठिया ही रहे हैं।

(viii) **श्री दिलेश्वर प्रसाद पटेल** ने बताया कि उन्होंने अपनी 1 एकड़ 39 डेसीमल जमीन बेची जिसके बाद उनके पास 1 एकड़ 29 डेसीमल जमीन बची। यह भूमि कोयले के पानी से खराब हो गई। उन्हें तय मूल्य से 2 लाख रुपये कम दिये गये और नौकरी भी नहीं दी गई। मनीष बंसल ने उन्हें धोखा दिया तथा रजिस्ट्री भी उसी के नाम पर हुई।

(ix) **श्री पुनीराम चौहान** ने बताया कि उनकी 2 एकड़ 79 डेसीमल जमीन राजन कोल वॉशरी के उपयोग हेतु ली गई। उनकी खसरा नं. 282/1 की जमीन पर वॉशरी ने रोड बना दी और कोई भुगतान भी नहीं किया है। उन्होंने कहीं किसी कागज पर दस्तखत भी नहीं किये हैं। मनीष बंसल ने उनकी जमीन को, जो कोटवारी की जमीन है, 30 वर्षों हेतु किराये पर लिया बताते हैं। उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

(x) **श्री गंगाधर नागवंशी** ने बताया कि वे आदिवासी हैं और उनकी 3.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी 3 बार हुई। पहले मनीष बंसल फिर भानू प्रताप फिर राजन कोल वॉशरी के नाम हुई। उन्हें मात्र 1.70 लाख रुपये दिये गये और बाकी पैसा नहीं दिया गया। उनकी जमीन पर सड़क भी बना दी गई है। एसडीएम ने भी कंपनी के पक्ष में ही फैसला कर दिया।

(xi) **यशोदा बाई पति पति हरि प्रसाद मांझी** ने अवगत कराया कि इनकी 2 एकड़ 20 डेसीमल जमीन कोल वॉशरी में चली गई। इन्हें 1 एकड़ का 1.5 लाख रुपये दिये बाकी नहीं दिये। मनीष बंसल ने जमीन ली है। शिकायत करने पर तत्कालीन एसडीएम श्री धृतलहरे ने भी इनके खिलाफ निर्णय दिया।

सभी ग्रामवासियों ने आयोग के दल से कोल वॉशरी की धूल एवं गंदे पानी से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर खराब असर पड़ने की शिकायत की।

8. बड़े डूमरपाली ग्राम में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों व अन्य के साथ चर्चा:

ग्राम बड़े डूमरपाली की जन सुनवाई में 20–25 ग्रामवासी उपस्थित हुए। यहां पर आयोग को निम्नानुसार जानकारियां दी गईं:

(i) **श्री भरतलाल डनसेना:** उन्होंने जानकारी दी कि उनकी जमीन राजन कोल वॉशरी से लगती है और धूल की बजह से फसल खराब हो जाती है। इसका मुआवजा दिलाया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि कोयले की ढुलाई की बजह से मुख्य सड़क खराब हो गई है उसकी मरम्मत कराई जाये। साथ ही गांव में ग्राम पंचायत का सचिव नहीं आता, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

बड़े डूमरपाली में जनसुनवाई करता आयोग का दल

(ii) **श्री चैतराम चौहान:** उन्होंने बताया कि एसईसीएल की कोल वॉशरी ने उनकी 2.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया किंतु उन्हें जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया। उनकी जमीन रॉबर्टसन रेल साइडिंग में गई है।

(iii) **श्री कृष्णकुमार पुत्र गिरधारी:** इन्होंने बताया कि 2007–08 में इनकी जमीन एसईसीएल की कोल वॉशरी हेतु ली गई है किंतु जमीन का मुआवजा नहीं मिला। केवल धान की फसल

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

का मुआवजा रुपये 9614/– मिला। पानी रोके जाने का मुआवजा, जो रुपये 66795/– है, भी नहीं दिया गया। उनकी जमीन से पानी की निकासी भी नहीं की जा रही है।

(iv) **श्री घसियाराम केवट:** इन्होंने जानकारी दी कि रॉबर्टसन रेल साइडिंग के बगल में इनका खेत है किंतु एसईसीएल उसमें अपना कोयला रख देता है जिससे खेत खराब हो रहा है। उन्होंने मांग की कि वहां पर कोयला न रखे जाने का निर्देश दिया जाये।

छोटे डूमरपाली एवं बड़े डूमरपाली में आयोग के दल की जनसुनवाइयों से यह विदित हुआ कि राजन कोल वॉशरी के लिये एक गैर आदिवासी व्यवसायी द्वारा आदिवासियों की जमीन धोखाधड़ी एवं छल–कपट से ली गई। कुछ मामलों में जमीन परोक्ष रूप से व्यवसाय हेतु लीज पर ली गई जो कि छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 170 (क) एवं (ख) का उल्लंघन प्रतीत होता है। जमीन के अधिग्रहण में स्थानीय व्यवसायियों, भू–माफिया तथा दलालों की भूमिका स्पष्ट रूप से देखने को मिली। यह भी उल्लेखनीय है कि राजन कोल वॉशरी की स्थापना से आस–पास का संपूर्ण पर्यावरण तथा कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। सारे पहुंच मार्ग कोयले की धूल से पटे पड़े हैं। कभी–कभी स्थानीय अधिकारियों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों के समय सड़कों पर पानी की बौछार कर दी जाती है किंतु यह पानी मिली हुई कोयले की राख किनारे की कृषि भूमि पर परत के रूप में जम जाती है जिससे आगे चलकर कृषि भूमि तथा जल स्रोतों के प्रदूषित तथा नष्ट होने का खतरा है। इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करते समय स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इन पहलुओं को अनदेखा किया गया जिस पर ध्यान देते हुए प्रदूषण कम करने के उपाय किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 23–06–2017 (शुक्रवार)

9. **जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम कुनकुनी एवं अन्य ग्रामों में उद्योगों हेतु अनुसूचित जनजातियों की भूमि अवैध रूप से लिये जाने की जांच, शिकायतकर्ता श्री जयलाल राठिया की संदिग्ध मृत्यु की जांच की स्थिति एवं अनुसूचित जनजातियों की अन्य समस्याओं पर बैठक में चर्चा:**

(i) बैठक को संबोधित करते हुए आयोग के जांच दल के प्रमुख मान. हर्षद भाई वसावा ने गत दो दिनों की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि रायगढ़ जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु जमीनों की अधिग्रहण प्रकिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई तथा आदिवासियों के हितों को अनदेखा किया गया। उन्होंने कलेक्टर से अनुरोध किया कि कुनकुनी तथा अन्य स्थानों के संबंध में भू–अधिग्रहण की अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों की जांच गंभीरता से की जाए। चूंकि इस संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में भी जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक के साथ मीटिंग लेकर कुनकुनी मामले की जांच एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी अतः उन्होंने इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा चाहा।

(ii) कलेक्टर तथा अन्य राजस्व अधिकारियों ने कुनकुनी जमीन घोटाले से संबंधित गठित विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन का हवाला दिया तथा बताया कि जांच समिति ने कुल खसरा नं. 205 रकबा 46.664 हेक्टेयर का बेनामी अंतरण पाया जिसका न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया में छ.ग.भू.रा. संहिता की धारा 170 (1)(2) के तहत 73 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। सभी प्रकरणों में संहिता के प्रावधान अनुसार उद्घोषणा एवं प्रारूप "ख" में नोटिस जारी किया गया है, सुनवाई हेतु दिनांक

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

24–06–2017, 28–06–2017 एवं 29–06–2017 नियत है। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार भूमि के क्रेताओं के रूप में निम्नलिखित का नाम है –

- सप्तऋषि इन्फ्रास्ट्रक्टर पार्टर संतोष कुमार गौतम आ. रामू सिंह गौतम, ग्राम धनरास, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर
- संतोष कुमार गौतम आ. रामू सिंह गौतम, ग्राम धनरास, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर
- संतराम राठिया आ. सुबरन राठिया, निवासी ग्राम मौहापाली, तहसील खरसिया
- श्रीकांत सोमावार आ. श्री बी.पी. सोमावार, निवासी रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़

(iii) जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि भूमि के अवैध क्रय विक्रय में शामिल शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तत्कालीन तहसीलदार श्री अतुल शेट्टे, जो अब डिप्टी कलेक्टर बन गये हैं, के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को आरोप पत्र भेजा गया है। श्री प्रफुल्ल रजक, तत्कालीन नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय जांच चालू है। श्री सुकन साय, श्री हेमनिधि पटेल, करूणा साहू सभी पटवारी निलंबित किये गये तथा विभागीय जांच अंतिम स्थिति में है। श्री रामाधार डनसेना, सचिव के खिलाफ भी विभागीय जांच अंतिम स्थिति में है। श्री के.के. प्रधान, उप पंजीयक के खिलाफ जांच भी शासन स्तर पर जांच जारी है।

(iv) आयोग द्वारा शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण करने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर जिला कलेक्टर ने कहा कि संबंधित पटवारियों एवं सचिव के खिलाफ 15 दिन में कार्रवाई पूर्ण हो जायेगी। तत्कालीन उप पंजीयक, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच शीघ्र पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को लिखा जा रहा है।

(v) आयोग ने आदिवासी कृषकों की भूमि से संबंधित छ.ग.भू.रा. की संहिता की धारा 170 (ख) के तहत चल रहे 73 प्रकरणों के शीघ्र निपटान का निर्देश दिया और जल्दी से जल्दी उन्हें जमीन वापस दिलाने को कहा। इसके लिये इन प्रकरणों की नियमित और समयबद्ध सुनवाई करने पर बल दिया जिस पर जिला कलेक्टर ने सहमति व्यक्त की। जिला कलेक्टर ने यह जानकारी भी दी कि जिन आदिवासियों के नाम पर जमीन क्रय की गई, उनकी वित्तीय स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए आयकर विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखा गया है। आयोग ने जिला कलेक्टर से ग्राम कुनकुनी में भू–अर्जन के उद्धेश्य, भू–अर्जन के बाद उसके हस्तांतरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन न किये जाने, अनुसूचित जनजातियों के कृषकों की भूमि अवैध रूप से धोखाधड़ी, दबाव बनाकर या खेत खराब कर लिये जाने, कोल वॉशरी के पानी से खेत खराब होने आदि से संबंधित शिकायतों की मौके पर जांच और निराकरण करने तथा इस संबंध में कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया।

(vi) आयोग ने कुनकुनी एवं अन्य ग्रामों में **डीबी पावर प्लांट** के लिये बिना भू–अर्जन के किसानों की भूमि पर मिट्टी डालने और बिना अनुमति के काम जारी रखने की शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने के लिये स्थानीय राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की भूमिका को संदेहास्पद माना। आयोग ने अपने कुनकुनी दौरे में इस संबंध में प्राप्त शिकायतों से जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि किस प्रकार जोर जबरदस्ती से तथा धमकाकर कंपनी द्वारा काम कराया जा रहा है। आयोग ने जिला कलेक्टर और

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में कैम्प लगाकर शिकायतों का निराकरण करने तथा इस संबंध में कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया।

(vii) आयोग ने भाटिया ग्रुप की **राजन कोल वॉशरी** के लिये आदिवासियों एवं अन्य की जमीन अवैध रूप से लेने की शिकायतों की जांच करने और इस संबंध में जांच रिपोर्ट आयोग को दो माह में भेजने का भी निर्देश दिया।

(viii) इस संबंध में आयोग की जांच समिति के प्रमुख द्वारा यह कहा गया कि भूमि घोटाले में संलिप्त सभी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए तथा जिला पंजीयक की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा ज्ञात हुआ है कि स्थल पर जाकर पंजीयन अमले द्वारा कैंप लगाकर रजिस्ट्रियां की गई।

(कार्रवाईः कलेक्टर, रायगढ़ जिला)

(ix) कुनकुनी जमीन घोटाले को उच्च न्यायालय में ले जाने वाले श्री जयलाल राठिया की मृत्यु की जांच के संबंध में आयोग द्वारा पूछे जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृत्यु से 3–4 दिन पहले मृतक के मोबाइल नम्बरों की कॉल डिटेल निकाली गई है किंतु सब बातचीत रिश्तेदारों/परिचितों से ही हुई है एवं जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है जैसे अशोक तोता, मनीष बंसल एवं सल्लू शर्मा, उनसे मृतक का संपर्क होना नहीं पाया गया है। शव की जली हुई हड्डी एवं राख जब्त कर रासायनिक परीक्षण कराया गया किंतु जहर के लक्षण नहीं पाये गये। जहां तक सप्तऋषि इन्फ्रास्टेट द्वारा आदिवासी कृषकों से समय–समय पर खरीदी गई जमीन का प्रश्न है, कलेक्टर द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संतोष कुमार गौतम पिता रामू सिंह गौतम के नाम पर काफी जमीन क्रय की है। उक्त संबंध में सप्तऋषि इन्फ्रास्टेट कंपनी लिमिटेड एवं उसके पार्टनर संतोष कुमार गौतम, मनीष बंसल एवं अन्य क्रेतागण के विरुद्ध दिनांक 02–05–2017 को अपराध क्रमांक 168/17 धारा 420, 467, 471, 120 बी भा.द.वि. एवं बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम की धारा 3(2), 53, 54 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आयोग ने निर्देश दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर श्री जयलाल राठिया की मृत्यु की विस्तृत विवेचना की जाये कि वे किन लोगों से मिले थे, उन्हें किसने धमकी दी थी, उनकी मृत्यु से किसे फायदा हो सकता था और किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उनके मोबाईल नंबरों की एक माह की डिटेल निकालकर यह देखा जाये कि कहीं उसके पूर्व किसी संदिग्ध व्यक्ति ने उनसे बात तो नहीं की थी। आयोग के जांच दल ने पुलिस अधिकारियों से जोर देकर कहा गया कि भले ही स्व. जयलाल राठिया की मृत्यु संबंधी परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि उनकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई और परिजनों द्वारा उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तथापि यह जानते हुए कि मृतक कुनकुनी भूमि घोटाले संबंधी उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर प्रकरण का प्रमुख याचिकाकर्ता है, उसकी मृत्यु के पूर्व अथवा मृत्यु के समय की परिस्थितियों का सूक्ष्म विवेचन आवश्यक था तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरसिया के चिकित्सक द्वारा अपरिहार्य रूप से पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था। यह भी कहा गया कि वर्तमान समय में प्रत्येक पुलिस थाने से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के संबंध में आवश्यक सूचनाओं का संकलन करें। अतः यदि पुलिस के संज्ञान में किसी भी प्रकार की आदिवासियों की प्रताड़ना संबंधी जानकारी आती है, तो अपने स्तर पर भी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है, बजाय इसके कि तत्संबंधी शिकायत की प्रतीक्षा की जाए।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने यह मत भी व्यक्त किया कि जिन मामलों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि अवैध रूप से हड़पी गई है या उन्हें पूरा मूल्य नहीं दिया गया है, उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाये

(कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ जिला)

10. रायगढ़ जिले में उद्योग विभाग के सहयोग से स्थापित उद्योगों द्वारा सीएसआर मद में किये जा रहे कार्यों पर चर्चा हेतु बैठक:

(i) बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र तथा स्थानीय उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई, जिसमें प्रमुख रूप से एसकेएस पॉवर जनरेशन कंपनी, जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी, मोनेट इस्पात, एसईसीएल, एनटीपीसी आदि सम्मिलित थे। जिला प्रशासन द्वारा केवल उन्हीं कंपनियों के प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया गया जिन्हें जिला उद्योग केन्द्र /सीएसआईडीसी के माध्यम से भूमि अर्जन कर आवंटित की गई है। उन कंपनियों के प्रतिनिधियों को प्रशासन ने जान–बूझकर नहीं बुलाया जिन्होंने येन केन प्रकारेण आदिवासियों और अन्य वर्गों के किसानों की भूमि उद्योग हेतु ली है और जिनसे संबंधित बहुत सी शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई हैं। अतः कुनकुनी तथा अन्य क्षेत्रों में हो रही भू–अधिग्रहण संबंधी अनियमितताओं पर चर्चा नहीं की जा सकी। केवल उपरोक्त कंपनियों के सीएसआर के अंतर्गत होने वाले कार्य–कलापों पर ही चर्चा हो सकी। बैठक में कलेक्टर, रायगढ़ तथा अन्य राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति अपेक्षित थी किंतु पूर्व सूचना के बाद भी उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आयोग ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की।

(ii) बैठक के प्रारंभ में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ने उद्योगों की स्थापना हेतु भू–अर्जन संबंधी प्रकिया पर प्रकाश डाला जिसमें प्रमुख रूप से सीएसआईडीसी, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड आदि की भूमिका को रेखांकित किया गया। आयोग ने विकास हेतु औद्योगीकरण का समर्थन किया किंतु संतुलित विकास हेतु प्रभावितों के समुचित पुनर्वास पर भी जोर दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि सरकारी जमीन उपलब्ध न होने पर ही निजी जमीन अर्जित की जाती है। निजी कंपनियां राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटन का अनुरोध करती हैं तथा एमओयू साइन करती हैं। भू–अर्जन अधिकारी मांग के अनुसार भूमि की उपलब्धता देखकर एवं सर्वेक्षण के बाद भूमि के बदले दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करते हैं जिसे सरकार के पास जमा कराने पर उद्योग को भूमि आवंटित की जाती है और कृषकों को मुआवजा दिया जाता है। भूमि की श्रेणी के अनुसार मूल्य तय होता है। कई मामलों में उद्योग सीधे कृषकों से जमीन खरीद लेते हैं और उद्योग स्थापित करते हैं। सरकार द्वारा भू–अर्जन कर उद्योगों को आवंटित करने पर उद्योग स्थापित होता है और लाभांश का निर्धारित हिस्सा सीएसआर मद में व्यय किया जाता है जिसके लिये जिला कलेक्टर के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा सीएसआर की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी जाती है। कुछ कंपनियों से इसके लिये फंड भी जमा कराया जाता है। उद्योगों के पास स्थित गांवों में जरूरत के आधार पर शिक्षा, स्कूल बस, सड़क, स्वास्थ्य, पेय जल, सामुदायिक भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। कुछ विद्यालयों में विषय विशेष के शिक्षक भी उपलब्ध कराये जाते हैं। स्वास्थ्य कैंप

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

लगाकर स्थानीय निवासियों का इलाज भी किया जाता है। चर्चा में यह अवगत कराया गया कि एसकेएस पावर कंपनी ने 25 स्थानीय लड़कों को आईटीआई कराकर रोजगार दिया है। जिंदल ग्रुप द्वारा भी 12000 नव युवक–नव युवतियों को कौशल विकास हेतु वोकेशनल ट्रेनिंग दिये जाने की जानकारी दी गई। यह भी अवगत कराया गया कि एसकेएस समूह ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर कुछ कार्यक्रम किये हैं जिनमें उन्हें सिलाई–कढ़ाई सिखाना तथा सिलाई मशीनें प्रदाय करना शामिल है। कुछ कंपनियां मुर्गी पालन, बकरी पालन एवं मशरूम की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। आयोग ने इस कार्य में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विशेष रूप से लक्ष्य कर प्रशिक्षण दिये जाने पर जोर दिया और महाप्रबंधक को यह जानकारी भिजवाने का निर्देश दिया कि कंपनियों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्गों के कुल कितने नव युवक–नव युवतियों को लाभ हुआ है और रोजगार मिला है। आयोग ने पर्यावरण प्रदूषण कम करने हेतु भी सीएसआर मद में उपलब्ध राशि का उपयोग करने का निर्देश दिया तथा इसमें जन भागीदारी समितियां बनाकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी शामिल करने का सुझाव दिया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से कंपनी एक्ट के सातवीं अनुसूची में सीएसआर हेतु ग्रामीण विकास के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला शब्द जोड़े जाने का अनुरोध किया ताकि इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान होने पर इन वर्गों का विकास सीएसआर के केन्द्र में आ सके। आयोग ने इसे अच्छा सुझाव माना और महाप्रबंधक से इस संबंध में एक नोट बनाकर आयोग में भिजवाने का अनुरोध किया ताकि संबंधित मंत्रालय के साथ मामला उठाया जा सके।

(iii) उद्योगों के प्रतिनिधियों से जांच दल द्वारा सीएसआर संबंधी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कंपनी प्रतिनिधियों ने विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का उल्लेख किया जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार से संबंधित हैं। आयोग के जांच दल के प्रमुख ने उद्योगों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे सीएसआर संबंधी किया–कलापों की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को दो माह की अवधि में प्रेषित करें।

(कार्रवाई: महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र)

दिनांक 24–06–2017 (शनिवार)

11. **कलेक्टर कार्यालय में बलोदा बाजार–भाटापारा जिले में अनुसूचित जनजातियों की भूमि पर निजी उद्योगों (सीमेंट प्लांटों) की स्थापना के संबंध में बैठक:**

(i) बैठक में श्री राजेश सिंह राणा, कलेक्टर तथा एडीएम, बलौदा बाजार, कुछ अनुविभागीय अधिकारी (राज.) एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सम्मिलित हुए। जिला कलेक्टर ने आयोग के माननीय सदस्य एवं जांच दल के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। जिला कलेक्टर ने, जो हाल में ही जिले में पदस्थ हुए हैं, अवगत कराया कि जिले में 6 निजी सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं जिनमें 445 कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि इन उद्योगों ने कृषकों की सहमति से भूमि क्रय की है। अनुसूचित जनजाति के कुछ कृषकों की भूमि के विक्रय से संबंधित अनुमति का मामला जिला कलेक्टर के पास लंबित है। आयोग ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जानकारी दी कि इस बैठक से पूर्व लगभग 20–25 स्थानीय निवासी, जिनमें प्रमुख रूप से भू–स्वामी

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सम्मिलित थे, आयोग के जांच दल से मिले हैं तथा उद्योगों हेतु भूमि लिये जाने, पुनर्वास, बुनियादी सुविधाओं आदि से संबधित समस्याओं के संबंध में चर्चा की है।

(ii) आयोग ने जिला कलेक्टर को यह जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है कि जिले में निजी उद्योगों हेतु कुल कितने किसानों की कितनी भूमि अर्जित की गई है और इनमें से कितने अनुसूचित जनजाति के कृषक व उनकी भूमि का रकबा है। यह जानकारी भी पृथक–पृथक दी जाये कि इन सीमेंट प्लांटों हेतु अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि लेने के कितने मामले जिला कलेक्टर के पास अनुमति हेतु कितने समय से लंबित हैं। जिला कलेक्टर ने उस समय उनके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर अवगत कराया कि जिले में अंबुजा सीमेंट संयंत्र हेतु 84 आदिवासी कृषकों की 52.345 हेक्टेयर, इमामी सीमेंट संयंत्र हेतु 113 आदिवासी कृषकों की 82.233 हेक्टेयर, अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र हेतु 82 आदिवासी कृषकों की 138.256 हेक्टेयर, ग्रासिम सीमेंट संयंत्र हेतु 13 आदिवासी कृषकों की 15.138 हेक्टेयर, लाफार्ज सीमेंट संयंत्र हेतु 1 आदिवासी कृषक की 0.809 हेक्टेयर एवं श्री सीमेंट संयंत्र हेतु 152 आदिवासी कृषकों की 74.49 हेक्टेयर जमीन ली गई है इस प्रकार उक्त सभी 6 संयंत्रों हेतु 445 आदिवासी कृषकों की 363.271 हेक्टेयर भूमि ली गई है। उन्होंने संयंत्रवार कुल भूमि अधिग्रहण के रकबे एवं कृषकों की संख्या की जानकारी बाद में भिजवाने का आश्वासन दिया।

(iii) आयोग ने यह जानना चाहा कि अनुसूचित जनजातियों के कृषकों की भूमि के विक्रय की अनुमति देने में क्या मानदण्ड देखे जाते हैं। जिला कलेक्टर ने अवगत कराया कि अनुसूचित क्षेत्र से बाहर अनुमति देने के पूर्व यह देखा जाता है कि कृषक भूमिहीन न हो जाये, बसाहट/पंचायत का स्वरुप न बदल जाये तथा जमीन के बदले उसे प्रचलित दर से भुगतान प्राप्त हो रहा हो। आयोग ने जानना चाहा कि क्या इन उद्योगों में भूमि गंवाने वाले कृषकों के परिजनों को पात्रता अनुसार रोजगार दिया जाने का प्रावधान है। इस पर अवगत कराया गया कि उद्योगों ने अधिकांश जमीन क्रय की है और उस पर उद्योग स्थापित किये गये हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है जो अकुशल श्रेणी का है। आयोग ने उनसे यह जानकारी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया कि ऐसे कितने लोगों को इन उद्योगों में रोजगार दिया गया है क्योंकि आयोग को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कुकुरदी गांव में 30 किसानों में से, जिनकी जमीन अंबुजा सीमेंट/इमामी अल्ट्राटेक कंपनी ने ली है, 1 को भी रोजगार नहीं दिया गया है। जिला कलेक्टर ने इस मामले को दिखवाकर रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया। चर्चा में आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि जिन किसानों की भूमि ली जा रही है, उनका कौशल विकास किया जाये ताकि वे इन उद्योगों में लगकर और अधिक योगदान दे सकें तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो। आयोग को अवगत कराया गया कि भूमि लिये जाने के संबंध में अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र से संबंधित 1 एवं श्री सीमेंट संयंत्र से संबंधित 16 आदिवासी कृषकों के प्रकरण जांच हेतु प्राप्त हुए। इन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

(iv) आयोग ने श्री तेजबली ध्रुव, निवासी कुकुरदी के मामले का उल्लेख किया जिन्होंने आयोग के दल से मुलाकात कर अवगत कराया था कि उनकी जमीन भी सीमेंट प्लांट हेतु ली जा रही है और एसडीएम उन्हें 5 वर्ष पुरानी दर से मुआवजे का भुगतान कराना चाहते हैं जो कि उस समय रुपये 15 लाख प्रति एकड़ थी। वर्तमान दर इससे काफी अधिक है और उन्हें नई दर से भुगतान किया जाना चाहिए। आयोग ने इस मामले की जांच कराने और वहां जाकर वास्तविक स्थिति देखने का निर्देश दिया ताकि समस्या का निराकरण हो

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सके। आयोग ने जिला कलेक्टर की जानकारी में आदिवासी भू–स्वामियों की यह शिकायत भी लाई कि वे अपनी जमीन बेचने की अनुमति हासिल करने के लिये राजस्व अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर लगाते रहते हैं किंतु अनुमति नहीं मिलती। यदि किसी दलाल के माध्यम से ऐसा करते हैं तो जल्दी ही अनुमति मिल जाती है। आयोग ने उन्हें इस प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर करने और व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया। आयोग ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि जिले में 22 ग्राम पंचायतों के 58 ग्राम सीमेंट उद्योग की स्थापना के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। जांच दल के प्रमुख ने रायगढ़ जिले के कुनकुनी जमीन घोटाले के परिपेक्ष्य में उद्योगों की स्थापना हेतु आदिवासियों की जमीनों के अधिग्रहण में हो रही अनियमितताओं का उल्लेख किया तथा जिला अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे बलोदा बाजार–भाटापारा जिले में इस प्रकार के प्रकरणों की गंभीरता से जांच करें तथा दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करें।

(v) उल्लेखनीय है कि बलौदा बाजार जिले में प्रमुख रूप से 6 निजी सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं जिनमें बड़े पैमाने पर आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण हुआ है। आयोग द्वारा विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया कि भू–अर्जन, विस्थापन एवं पुनर्वास संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा उद्योगों से सीएसआर की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने को कहा जाए जिससे स्थानीय निवासियों विशेषकर उन लोगों, जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, के हितों की अवहेलना न की जा सके। चर्चा में यह बात सामने आई कि उक्त 6 उद्योग सीएसआर मद में मुख्यतः स्वास्थ्य, पेय जल, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, बाउंड्री वॉल तथा सड़क निर्माण पर व्यय करते हैं तथा मांग के आधार पर ही निर्णय लिये जाते हैं। आयोग द्वारा कलेक्टर, बलौदा बाजार से यह भी कहा गया कि वे एक माह के भीतर निजी कंपनियों से सीएसआर गतिविधियों संबंधी जानकारी हासिल कर आयोग को प्रतिवेदन भेजें और यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जनजातियों को भी सीएसआर के मद में होने वाले व्यय का लाभ मिले। उनकी स्वच्छता, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाये। साथ ही सीमेंट उद्योग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिये वृक्षारोपण एवं अन्य उपायों को भी प्राथमिकता दी जाये। आयोग ने उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सीमेंट उद्योग के प्रदूषण के कारण ग्रामीणों में दमा होने की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके इलाज हेतु सर्वेक्षण और विशेष कैंप लगाये जायें और पीड़ितों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाये। सीमेंट उद्योग की बाउंड्री वॉल के कारण ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के लोगों को निस्तार की समस्या न आये। उनके पशुओं को भी चरने के लिये स्थान उपलब्ध रहे। जिला कलेक्टर ने आयोग को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त सुझावों पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई की जायेगी और तदनुसार आयोग को अवगत कराया जायेगा।

(कार्रवाईः जिला कलेक्टर, बलौदा बाजार–भाटापारा जिला)

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi